आयन्दा दिनांक.....

रीडर

4-12-19

बुलाया गया। वकील पार्टी उपस्थित। वकील पार्टी ने निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। पेशी दिनांक 6-4-2018 के अलावा जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। वकील प्रतिवादी आज भी जवाब हेतु समय चाहा। हमने प्रार्थना पत्र पर विचार पूर्वक अवलोकन किया। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद प्रतिवादीगण ने अपने जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अतः प्रतिवादी के जवाब का समय बंद किया जाता। बहस सुनी गई। बहस के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रतिवादी पार्टी का यह कथन स्वीकार योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाता। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर पेश सुनाया जाकर शर्तिया पत्रावली किया गया। पत्रावली कमल कुमार टांक बार ए टेबिल वकील द्वारा फाइल की जाकर इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(बीकानेर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.01.24 16:41:19 IST
Reason: SelfAttested